झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, देवघर का पत्रांक–151/गो0, दिनांक 25.01.2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–2203, दिनांक 06.03.2012, पत्रांक–7592, दिनांक 29.06.2012, संकल्प संख्या–412, दिनांक 16.01.2015 एवं संकल्प संख्या–6021, दिनांक 15.07.2016
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक–245, दिनांक 16.10.2015
4. राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड का पत्रांक–580, दिनांक 15.02.2017

श्री राजेश कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला–गोड्डा), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं, देवघर के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–151/गो0, दिनांक 25.01.2012 द्वारा इनके विरूद्ध इंदिरा आवास योजना तहत् धूम्ररहित चूल्हा एवं सूचना पट्ट के क्रय में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रपत्र–'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक–2203, दिनांक 06.03.2012 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिंह के पत्र, दिनांक 14.05.2012 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक–7592, दिनांक 29.06.2012 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, देवघर से श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, परन्तु इनका मंतव्य अप्राप्त रहा। अतः मामले के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या–412, दिनांक 16.01.2015 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री झा के पत्रांक–245, दिनांक 16.10.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0–6021, दिनांक 15.07.2016 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(iv) के तहत् दो वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह ने पत्र, दिनांक 09.02.2017 द्वारा माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के समक्ष अपील अभ्यावेदन समर्पित किया, जो राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड के पत्रांक–580, दिनांक 15.02.2017 द्वारा इस विभाग को प्राप्त हुआ।

श्री सिंह द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी, जिसमें पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दण्ड संकल्प निर्गत होने की तिथि 15.07.2016 के 6 माह 24 दिन बाद दिनांक 09.02.2017 को माननीय राज्यपाल के समक्ष समर्पित किया गया है जबकि झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–26 में स्पष्ट है कि "कोई अपील तभी स्वीकार की जायेगी जब अपीलार्थी को आदेश दिये जाने की तिथि से 90 दिनों के भीतर की गई हो।"

इस प्रकार श्री सिंह द्वारा निर्धारित समय के उपरांत अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री राजेश कुमार सिंह, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं, देवघर, सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर राँची के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राजेश कुमार सिंह, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
14.7.17
(सूर्य प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–534/2014 का०– 8098/राँची, दिनांक 17 जुलाई, 2017

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/प्रमंडलीय आयुक्त, द0छो0 प्रमंडल, राँची/उपायुक्त, देवघर/उपायुक्त, राँची/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री राजेश कुमार सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/प्रशाखा–6 (चारित्री कोषांग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.7.17
सरकार के संयुक्त सचिव।